

न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 10/2018

श्री सीमेन्ट लिमिटेड बांगड नगर ब्यावर जिला अजमेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री
के०के० शर्मा पुत्र श्री जय सीताराम शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक श्री सीमेन्ट लिमिटेड

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री पप्पू
2. श्री आजाद
पुत्रगण श्री नूरा
3. श्री सुलेमान
4. श्री सायर
पुत्रगण श्री गुलाब
5. श्री उदा
6. श्री लाला
7. श्री रामा
पुत्रगण श्री अजीमा
8. श्री रोशन पुत्र श्री नाथा
9. रेशमी पत्नि श्री पूना

समस्त जाति मेहरात निवासी मजरा कुपावतों का बाड़िया, श्यामगढ तहसील मसूदा
जिला अजमेर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मसूदा, जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4)
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपस्थित :-
1. श्री शांतिप्रकाश ओझा वकील प्रार्थी की ओर से।
 2. श्री हेमराज राठौड़ सरकारी वकील।

—: आदेश :-

दिनांक - 17.01.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी एक सीमेन्ट उत्पाद कम्पनी है जिसे राज्य सरकार खान विभाग गुप (2) जयपुर के आदेश क्रमांक पं. 2 (47) खान / गुप-2 / दिनांक 15.12.2014 के द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाइम स्टोन ग्राम श्यामगढ, तहसील मसूदा हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत हुआ है जो उप पंजीयक मसूदा तहसील मसूदा के यहा दिनांक 06.04.2015 को पंजीकृत किया गया है। इस लीज क्षेत्र के ग्राम श्यामगढ में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 353 खसरा नं०



A-
अपर कलक्टर
अजमेर

3994 रकबा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 3995 रकबा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 3996 रकबा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं 3997 रकबा 03 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि में सरफेस राइट अप्रार्थीगण का है प्रार्थी उक्त भूमि में खनन कार्य करना चाहता है, अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कर मुआवजा अप्रार्थीगण को अदा अथवा टेण्डर किये जाने के पश्चात कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलवाया जाने एवं उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में तदानुसार करने के आदेश प्रदान किये जावे।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु बावजूद सूचना के अप्रार्थी संख्या 1 से 9 अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि काबिलकाश्त है एवं किस्म बारानी 1 व बारानी 3 है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की मौका स्थिति की जानकारी हेतु तहसीलदार मसूदा को पत्र लिखा जाकर मौका रिपोर्ट एवं भूमि पर स्थित वृक्ष अथवा निर्माण कार्य उनका प्रकार एवं निर्धारित कीमत तथा प्रत्येक खातेदार की उसके हिस्सेनुसार भूमि एवं उसका बाजार मूल्य (डी.एल.सी.) से मूल्यांकन कर रिपोर्ट पेश करने हेतु तलब किया गया। जिसके अनुसरण में तहसीलदार द्वारा पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अधिवक्ता सरकार की ओर से यह भी बहस की गयी कि भूमि का मुआवजा निर्धारण नये भूमि अवाप्ति पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे तथा भूमि विस्थापितों के लिये नये एक्ट के अनुसार आर एण्ड आर के प्रावधानों को लागू किया जावे, जमीन की कीमत 4 गुना दी जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से बहस का जोरदार विरोध करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस की गयी कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के खनन क्षेत्र में स्थित होने से एवं खनन कार्य हेतु आवश्यक होने से भूमि का सरफेस राइट प्राप्त करने के लिए मुआवजा निर्धारण किया जाना आवश्यक है। खनन पट्टे की अवधि एम एम डी आर संशोधन आदेश 2015 के अनुसार बढ़कर 50 वर्ष हो गयी है जिसे रिकार्ड पर लिया जावे। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1 (3) राज-6/2011/ पार्ट/2014 दिनांक 16.10.14 के अनुसार, प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हेक्टर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हेक्टर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वकील प्रार्थी द्वारा यह भी बहस की गयी कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की अनुसूची प्रथम के प्रावधानों के अनुसार ही भू स्वामियों को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है एवं उक्त अनुसूचि के क्रम सं 2 के अन्तर्गत जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं. 4 (3) राज-6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को अलग अलग कारको से गुणा कर बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित खनन क्षेत्र की नगरपालिका से दूरी 15 कि.मी होने से बाजार मूल्य (डी.एल.सी) रेट को 1.50 के कारक से गुणा कर उसके आधार पर प्रतिकर निर्धारण किया जाना है। अतः 4 गुणा के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण करने का प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता है। वकील प्रार्थी द्वारा राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आर.बी.जे 2000, पेज 488 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया कि "Compensation of land acquired can be determined according to provisions of land



अ-
अधिवक्ता
अधिवक्ता

कुल योग :-	01-09-11	56886	85329	4688	90017	90017	180034
------------	----------	-------	-------	------	-------	-------	--------


अतः उपरोक्त मुआवजा राशि रूपये 180034/- का अप्रार्थीगण के नाम उपरोक्त हिस्सेनुसार चैक बनाकर तहसीलदार मसूदा को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार मसूदा उक्त आराजी के संबंध में स्वयं के समक्ष अप्रार्थीगण को उपरोक्त राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे तथा मुआवजा राशि भुगतान के समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राशि भुगतान में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार की जावेगी।

तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भूमि बिलानाम माईनिंग लीज श्री सीमेन्ट लिमिटेड 50 वर्ष हेतु अंकित की जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार मसूदा/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




 (एम०एल०नेहरा)
 अपर कलेक्टर, अजमेर